Witness No. 01 For आवेदक साक्ष्य Deposition taken

the 19/06/2026 day of शुक्रवार Witness's apparent age 43 साल

States on affirmation .शपथ पूर्वक. my name is शिवकुमारी साहू

Wife of स्व. सुरेश साहू occupation मजदूरी

address ग्राम–देवरी, थाना–भाटापारा ग्रामीण, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री सुनीत साहू अधिवक्ता वास्ते आवेदकगण

01. मैं ग्राम–देवरी, थाना–भाटापारा (ग्रामीण), जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) में रहती हूँ । आवेदिका क्रमांक 02 रानू साहू मेरी पुत्री है एवं आवेदिका क्रमांक 03 बिसाहिन बाई मेरी सास है । घटना दिनांक 27.03.2025 को सुबह लगभग 06.00 बजे मैं और मेरे पति सुरेश साहू मोटरसायकल से ग्राम धनेली से ग्राम नारायणपुर जाने के लिये निकले थे, मोटरसायकल को मेरे पति सुरेश साहू चला रहा था तभी ग्राम सांकरा दिलबाग ढाबा के सामने पहुंचे थे कि सामने से आ रही वाहन ट्रक के चालक अनावेदक क्रमांक 01 के चालक अपने ट्रक को तेज व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए हमारे मोटरसायकल को ठोकर मार दिया जिससे मेरे पति उक्त ट्रक के पहिये में आ जाने से घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गयी तथा उक्त घटना से मेरे दोनो पैर ट्रक के पहिये में कुचला जाने से दुर्घटना कारित हुई है जिससे मेरे दोनो पैर, सिर, सीना में गंभीर चोंट आयी थी । घटना के समय मेरे पति का उम्र 45 वर्ष थी ।

02. घटना होने के बाद हमारे रिश्तेदार डोमन साहू द्वारा मुझे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था तथा मेरे पति का घटना स्थल पर ही मृत्यु हो जाने से उनका पी.एम. धरसीवां अस्पताल में किया गया था । उक्त घटना की रिपोर्ट डोमन साहू द्वारा पुलिस सहायता केन्द्र सिलतरा में दर्ज कराया गया था ।

03. मेरे पति राजमित्री का कार्य करता था जिससे वह 15,000/– रूपये मासिक आय अर्जित करता था । मैंने अपने दावा आवेदन के समर्थन में अनावेदक क्रमांक 01 के विरूद्ध पंजीबद्ध

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर का दांडिक प्रकरण क्रमांक 27067/25 का अभियोग पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त किया हूँ, जिसमें अंतिम प्रतिवेदन प्रदर्श ए–01, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श ए–02, देहाती मर्ग इंटिमेशन प्रदर्श ए–03, संपत्ति पत्रक प्रदर्श ए–04, गिरफ्तारी न्यायालय समर्पण पत्रक प्रदर्श ए–05, पंचायतनामा मृत्यु जांच के लिये आवेदन पत्र प्रदर्श ए–06, नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श ए–07, शव सुपुर्दनामा का प्रमाण पत्र प्रदर्श ए–08, कार्य प्रमाण पत्र प्रदर्श ए–09, शव परीक्षण के लिये आवेदन एवं प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रदर्श ए–10, अपराधिक वाहन का न्यायालय द्वारा जारी सुपुर्दनामा ज्ञापन प्रदर्श ए–11 प्रस्तुत किया हूँ एवं मृतक का एवं मेरे स्वयं, मेरी पुत्री रानू साहू के आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की हूँ । मुझे दावा आवेदन पत्र के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि अनावेदकगणों से दिलवायी जावे ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री विजय केशरवानी अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी</u>

04. यह कहना सही है कि आवेदिका क्रमांक 02 रानू साहू बालिग है तथा वह कुछ काम नहीं करती है । यह कहना सही है कि आवेदिका क्रमांक 03 बिसाहिन बाई रोजी मजदूरी का काम नहीं करती है । यह कहना सही है कि मैं क्या काम करती हूँ एवं कितना कमाती हूँ इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं की हूँ ।

05. यह कहना सही है कि मैंने उक्त दावा प्रकरण में मेरे पति सुरेश साहू द्वारा चलाये जा रहे मोटरसायकल CG–04 PT–3445 के स्वामी एवं बीमा कंपनी को उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है । यह कहना सही है कि मेरे द्वारा मेरे पति के मोटरसायकल चलाये जाने हेतु लायसेंस को दावा प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की हूँ ।

06. यह कहना सही कि मेरा पति घटना के समय हेलमेट का उपयोग नहीं कर रहा था। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा मेरे पति सुरेश के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं की हूँ । यह कहना सही है कि मेरा पति दुर्घटना के पूर्व क्या काम करता था तथा महिने में कितना कमाता था इस संबंध में मैंने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है ।

07. यह कहना सही है कि जिस रोड से हमलोग आ रहे थे वह काफी भीड़ भाड़ वाला रोड है । यह कहना गलत है कि सुबह 06:00 बजे नींद का समय होता है तथा आदमी सोने के लिये अपने बिस्तर पर रहता है । यह कहना गलत है कि मेरा आदमी सुरेश साहू घटना दिनांक और

समय को नींद में था और स्वयं जाकर टकरा गया जिससे उक्त घटना घटित हुई है ।

08. यह कहना गलत है कि घटना दिनांक को मेरा पति बेरोजगार था तथा वह कोई काम नहीं करता था । यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा अपने दावा आवेदन पत्र में जो क्षति राशि की मांग की गयी है वह गलत ढ़ंग से कपोल कल्पित आधार पर मांग की जा रही है ।

साक्षी को बयान पढ़कर सुनाया गया, **मेरे निर्देशन में टंकित।**

सही होना स्वीकार किया।

सही/–
(सतीश कुमार जायसवाल)
अतिरिक्त मो.दु.दा. अधिकरण
भाटापारा (छ.ग.)

सही/–
(सतीश कुमार जायसवाल)
अतिरिक्त मो.दु.दा. अधिकरण
भाटापारा (छ.ग.)